भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
10.03.2016 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 1444.

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

1444. **श्री हरिवंश :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या नाभिकीय उत्तरदायित्व के नये नियमों के प्रवर्तन के मद्देनज़र देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, वर्तमान में परमाणु क्षेत्र में कितना विदेशी निवेश हुआ है;**

(ख) **क्या भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियाँ परमाणु ऊर्जा की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करेंगी; और**

(ग) **वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर बनाने का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) **जी, हाँ।**

भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है। तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों एवं अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए उपस्करों के विनिर्माण एवं उनके लिए अन्य सामग्री प्रदान करने हेतु नाभिकीय उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) **नाभिकीय ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों हेतु प्रौद्योगिकी का अंतरण, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करारों के तहत सहकार के कार्य-क्षेत्र का भाग है। प्रौद्योगिकी का अंतरण, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ हमारी बातचीत का एक महत्वपूर्ण पहलू है।**

(ग) **सरकार ने, चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाने वाली 23 द्वि-इकाई परियोजनाओं सहित कुल 46 नए रिएक्टरों की स्थापना के लिए स्थल चयन हेतु "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। दो परियोजनाओं, यथा गोरखपुर, हरियाणा स्थित गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) यूनिट 1 तथा 2 (2x700 मेगावाट) एवं कुडनकुलम, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) यूनिट 3 तथा 4 (2x1000 मेगावाट) के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है।**

****